न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादी :–

धन्नाराम पुत्र जस्सा राम जाति जाट निवासी मोड़ी खुर्द तहसील परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नन्दाराम पुत्र जसा राम
2. गणेशी पत्नि बिरमा राम पुत्री जस्साराम सभी जाति जाट निवासीगण मोड़ी खुर्द तहसील परबतसर
3. मैनेजर यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाजवास
4. तहसीलदार परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

दावा बाबत् :– घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वादी,

श्री परवेज वसीम अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

मुकदमा नम्बर :– 2024/167 निर्णय दिनांक :–19.09.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम मोड़ी खुर्द की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 367 रकबा 0.0800, खसरा नम्बर 393 रकबा 3.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.050, खसरा नम्बर 363 रकबा 4.9600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 2.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 5.1800 हैक्टर जमीन स्थित है। उक्त जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की पैतृक है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता रूकमा पत्नि जस्साराम की दिनांक 09.11.2023 को मृत्यु हो गई थी। जिसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 है। जिनका विरासत नामान्तकरण हेतु हल्का पटवारी हको दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए लेकिन हल्का पअवारी द्वारा विरासत नामान्तरकण 434 दिनांक 24.01.2024 को दस्तावेजों का सही अवलोकन किये बिना खातेदारी में वादी की माता रूकता पत्नि जस्साराम का नाम यथावत रखकर वादी की स्वयं की जमीन में से हिस्सा कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम कर दी । जो राजस्व त्रुटी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खसरा नम्बर 367, 393, 365, 366 में बराबर कमश 1/9 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 361 से 363, 392, 413 से 416 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कमश 1/24 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी। हल्का पटवारी के द्वारा त्रुटी करने से वादी की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में गलत दर्ज है। मृतक खातेदार रूकमा पत्नि जस्साराम की मृत्यु हो जाने पर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

धिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खसरा नम्बर 367, 393, 365 व 366 बराबर क्रमश 1/9 व 1/27 हिस्से की खातेदारी बनती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 361 से 363, 391, 392, 413 से 416 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की क्रमश 1/24 व 1/72 हिस्से की खातेदारी बनती है। इसलिए वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने की इस्तदुआ चाही है।

दावा वकील वादी द्वारा दर्ज कराये जाने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार मृतक खातेदार माता रूकमा देवी पत्नि जस्साराम के खातेदारी हक उपरोक्त सम्पूर्ण जमीनों में 1/9 व 1/24 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में मर्ज होनी। वादी का हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में गलत मर्ज हो गया उसको भी बराबर बराबर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में पूर्व की भांति दुरूस्त किया जाना है। इस प्रकार ग्राम मोड़ी खुर्द की राजस्व जमीन खसरा नम्बर 365, 366, 367, 393 कुल रकबा 8.5000 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उपरोक्त सम्पूर्ण जमीन में बराबर क्रमश 1/9, 1/9 व 1/9 हिस्सा रहेगा तथा ग्राम मोड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 361, 362, 363, 391, 392, 413, 414, 415, 416, कुल रकबा 7.9800 हैक्टर की सम्पूर्ण जमीन में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर क्रमश 1/24, 1/24 व 1/24 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने से पत्रावली बहस में तलब की जाकर बहस उभय पक्षों की सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्षों ने मुताबीक राजीनामा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार परबतसर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक भू0अ/2025/1623 दिनांक 14.08.2025 द्वारा जवाब भिजवाया गया जिसके अनुसार उक्त वर्णित खसरों में हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक भूमि है तथा वादी व प्रतिवादी 1 व की माता रूकमा देवी पत्नि जस्साराम की मृत्यु के उपरांत उसकी विरासत नामान्तरण संख्या 434 दिनांक 24.01.2024 में सहवन से वादी नाम हटाकर रूकमा देवी के वारिसों वादी व प्रतिवादी 1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया गया तथा रूकमा देवी का नाम यथावत रखा। अब रूकमा देवी का नाम हटाकर वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता रूकमा देवी के नाम खसरा संख्या 367, 393, 365, 366 में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा दर्ज था तथा खसरा नम्बर 361, 362, 363, 391, 392, 413, 414, 415, 416 मे प्रत्येक का 1/24 हिस्सा दर्ज था तथा मृतक खातेदार रूकमादेवी पत्नि जस्साराम के विरासत नामान्तरण उपरान्त वादी व प्रतिवादी 1 व 2 के रूकमादेवी के हिस्से में से खसरा नम्बर 367, 393, 365,366 में 1/27 बराबर तथा खसरा संख्या 361, 362, 363, 391, 392, 413, 414, 415, 416 क्रमश 1/72, 1/72 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है ग्राम मोड़ी खुर्द के खसरा संख्या 367, 393, 365, 366 कुल रकबा 8.50 हैक्टयर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/9, 1/9 व रूकमा देवी 1/9 हिस्से में से 1/27, 1/27

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/27 किया जाना उचित है तथा खसरा संख्या 361, 362, 363, 391, 392, 413, 414, 415, 416 कुल रकबा 7.98 हैक्टयर में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/24, 1/24 व रूकमा देवी के 1/24 हिस्से में से 1/72, 1/72 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/72 मृतक रूकमादेवी पत्नि जसाराम का नाम हटाकर वादी व प्रतिवादी 1 व 2 के खातेदारी हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खसरा नम्बर 367, 393, 365, 361, 362, 363, 391, 392, 413, 414, 415, 416, 366 व मृत्यु प्रमाण–पत्र रूकमा देवी का पेश किया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा हो गया है। इस प्रकार वाद मुताबिक राजीनामा व तहसीलदार के जवाब अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम मोडी खुर्द की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 367 रकबा 0.0800, खसरा नम्बर 393 रकबा 3.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.050, खसरा नम्बर 363 रकबा 4.9600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 2.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 5.1800 हैक्टर जमीन में मृतक रूकमा देवी पत्नि जसाराम का नाम हटाकार तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावाली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

(रामकुमार टांडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर